:: विज्ञप्ति ::

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित एवं विकास निगम लि0 द्वारा जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना **(अनुसूचित जाति/जनजाति)** के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वैच्छिक संस्थाओं (N.G.O.) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे है। इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार में दक्ष करने हेतु निम्नानुसार ट्रेड में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाना है:–

01– मोबाईल रिपेयरिंग **02**– कम्प्यूटर प्रशिक्षण **03**– होम स्टे एण्ड हॉस्पैलिटी मैंनेजमेंट **04**– हथकरघा हस्तशिल्प **05**– इलैक्ट्रीशियन **06**– प्लम्बिंग कार्य **07**– हाउसकीपिंग प्रशिक्षण **08**– ड्राई क्लीन/लॉन्ड्री **09**– इलेक्ट्रानिक्स (ए0सी0, फ्रीज, स्मार्ट टी.वी. एवं आदि रिपेयरिंग) **10**– कारपेन्टर **11**– पेन्टर **12**–स्टील फेब्रीकेशन **13**–पेस्ट कन्ट्रोल (बिल्डिंग) **14**– बैकरी एवं कन्फेक्शनरी **15**– मशरूम उत्पादन **16**– मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन **17**– इंटीरियर डेकोरेशन **18**– ए0आई0 प्रशिक्षण(AI Prompt Certificate Course) प्रशिक्षण योजनाओं में रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संस्थायें विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो सहित आवेदन पत्र उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, जनजाति कल्याण परिसर, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून में दिनांक 05.12.2026 सांय 05.00 बजे तक पंजीकृत/स्वयं आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उक्त के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. उपरोक्तानुसार इच्छुक आवेदन करने वाली स्वंयसेवी संस्थाओं हेतु मापदण्ड/शर्तें निम्नवत होगीं :–

1	संस्था का पूर्ण विवरण	01. सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकरण तथा पंजीकरण संख्या/ वैद्यता की तिथि 02. पैन कार्ड नम्बर 03. संस्था का दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
2	संस्था की आय–व्यय का विवरण	01. गत तीन वित्तीय वर्ष (2023–24,2024–25,2025–26) की आय–व्ययक का विवरण (औसत वार्षिक टर्नओवर रू– 10.00 लाख से अधिक हो)। 02. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं का गत तीन वित्तीय वर्ष (2023–24,2024–25,2025–26) की आय–व्ययक का विवरण (औसत वार्षिक टर्नओवर रू– 05.00 लाख से अधिक हो) 03. वित्तीय वर्ष 2023–24,2024–25,2025–26 की बैलेंस शीट एवं आय–व्यय विवरण (सी0ए0 द्वारा प्रमाणित हो)
3	धरोहर धनराशि	रू0 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) धनराशि की एफ0डी0 के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून के पक्ष में बंधक रखी जायेगी, जिसे आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
4	प्रशिक्षणदायी संस्था का विगत पांच वर्षो का विवरण	विगत पांच वर्षो (वित्तीय वर्ष 2021–22, 22–23, 23–24, 24–25, एवं 25–26) में स्वैच्छिक संस्था द्वारा शासकीय/अशासकीय/निगम/संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सफलता पूर्वक प्रशिक्षण कार्यकम के अनुभव रखने वाली स्वैच्छिक संस्था को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। परन्तु अनुभव के आधार पर ही प्रशिक्षण दिये जाने का दावा मान्य नही होगा।
5	संस्था का भवन तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी विवरण	01. प्रशिक्षणशाला/ट्रेनिग सेंटर के स्थान पर उपरोक्त ट्रेड के अनुरूप संस्था को प्रशिक्षणशाला/ट्रेनिंग सेंटर का सुस्पष्ट उल्लेख करते हुए यथा आवश्यक उपकरणों, प्रशिक्षणार्थियों हेतु यथा आवश्यक सुरक्षा/सुविधाओं का प्रबन्ध अनिवार्य रूप से करना होगा एवं अनुबन्ध से पूर्व उन सुविधाओं का प्रबन्ध करते हुए अनुबन्ध पत्र में भी उनका उल्लेख किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

		02. संस्था का भवन तथा भवन में प्रशिक्षण के लिये आवश्यक मशीनें एवं उपकरणों की उपलब्धता होनी अनिवार्य है। 03. संस्था के पास मान्यता प्राप्त कार्यकुशल प्रशिक्षक पुरूष / महिला होने आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व संस्था को प्रशिक्षकों के अनुबन्ध निगम/जनपद को उपलब्ध कराने होंगें। 04. संस्था के भवन में महिला / पुरूषों हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था होना आवश्यक है।
6	संस्था को – प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण।	प्रशिक्षण ट्रेड के अनुसार स्वैच्छिक संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, प्रशिक्षण अवधि एवं शुल्क का उल्लेख किया जा सकता है परन्तु ट्रेड के अनुसार प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षणार्थियों की आवंटित संख्या एवं प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण नियमानुसार निगम मुख्यालय पर गठित चयन समिति/प्रबन्ध निदेशक महोदय के निर्देशानुसार ही निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु स्वैच्छिक संस्था को कोई भी दावा (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रशिक्षण शुल्क) मान्य नहीं होगा।

07– संस्थाध्यक्ष अथवा विधिवत् अधिकृत को रू– 100/– के स्टाम्प पेपर पर संस्था के काली सूची में दर्ज न होने सम्बन्धी शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

08– प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव पर विचार कर किसी भी पात्र संस्था को प्रशिक्षण का दायित्व दिये जाने का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी स्वैच्छिक संस्था का कोई भी दावा दायित्व दिये जाने हेतु मान्य नही होगा। इस हेतु दायित्व दिये जाने वाली संस्था को निगम मुख्यालय की निर्धारित शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा, तभी उक्त संस्था को प्रशिक्षण हेतु अधिकृत माना जायेगा।

09– इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक , निगम मुख्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

ह0/
(एस.एल.सेमवाल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रधान कार्यालय
उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0,
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
जनजाति निदेशालय परिसर, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला–देहरादून
Web site – www.ukbvvn.org.in , **email id** – vikasnigam12@gmail.com

पत्रांक संख्या/ 906 **/बहु0नि0/प्रशि0प्रा0/2026–27/** **दिनॉक** 25/11/2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

01. सचिव समाज कल्याण पदेन अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून के सादर संज्ञानार्थ।
02. निदेशक महोदय समाज कल्याण,उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल को सादर प्रेषित।
03. निदेशक महोदय जनजाति कल्याण,उत्तराखण्ड देहरादून को सादर प्रेषित।
04. समस्त जिलाधिकारी, महोदय उत्तराखण्ड को सादर प्रेषित।
05. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित एवं विकास निगम लि0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार अपने जनपदों में योजना का प्रचार–प्रसार कर अन्य कार्यालयों एवं विकास खण्डों के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति की सूचना चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।

25/11/26
(गोरधन सिंह)
महाप्रबन्धक

Scanned with OKEN Scanner